अलवर की 16 पंचायत समितियों में 4.65 करोड़ के गबन का मामला सामने आया

300 से अधिक पूर्व सरपंच और पूर्व उप सरपंचों के चुनाव लड़ने पर संकट मंडराया

- पूर्व सरपंच व पूर्व उप सरपंच पर विकास कार्य के लिए भेजी राशि को गबन करने का आरोप है
- पंचायत चुनावों से ठीक पहले अलवर जिला परिषद ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, सभी को नोटिस जारी किए

अलवर, (निसं)। प्रदेश में पंचायत चुनावों से ठीक पहले अलवर जिला परिषद ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। 16 पंचायत समितियों में विकास कार्यों के बजट में करीब 4.65 करोड़ रुपये के गबन का मामला सामने आया है। इसके चलते 300 से अधिक पूर्व सरपंच और पूर्व उप सरपंचों के चुनाव लड़ने पर संकट मंडरा गया है।

अलवर और खैरथल-तिजारा जिला समेत बहरोड़ के 300 से अधिक पूर्व सरपंच व पूर्व उप सरपंच आगामी पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इन पर विकास कार्य के लिए भेजी गई राशि को गबन करने का आरोप है। अलवर जिला परिषद की ओर से इन सभी को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि ये जब तक गबन की राशि जमा नहीं कराएंगे, तब तक इनको चुनाव लड़ने के लिए एनओसी (अनापत्ति प्रमाण-पत्र) नहीं दी जाएगी। गबन की राशि जमा न कराने पर प्रॉपर्टी भी सीज की जा सकती है।

गौरतलब है कि पिछले 20 साल में गांवों के विकास के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार से करोड़ों रुपए भेजे। यह राशि ग्राम पंचायतों के खाते में पहुंची, तो जनप्रतिनिधियों ने इसे ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। ऑडिट में खुलासा हुआ कि 16 पंचायत समितियों के 633 मामले ऐसे हैं, जिन्होंने 4.65 करोड़ रुपए का गबन किया गया। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, रामगढ़ व लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति से जुड़ी ग्राम पंचायतों में 4 करोड़ रुपए से अधिक का गबन हुआ। कार्रवाई की जद में आ रहे सभी पूर्व सरपंचों व पूर्व उप सरपंचों से वसूली करने की संस्तुति की गई थी। शुरुआत में इनमें से कुछ ने राशि जमा कर दी, लेकिन शेष ने अब तक ऐसा नहीं किया। अब ये सभी पंचायती राज चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। इसी बीच जिला परिषद की ओर से नोटिस जारी होने से इनकी नींद उड़ी हुई है। एनओसी नहीं मिलेगी, तो ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पिछले 20 साल के दौरान ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों में 50 हजार से अधिक के 602 गबन और 50 हजार रुपए से अधिक के 31 गबन के मामले सामने आए थे। कुछ मामलों में वसूली हुई, जो बहुत कम राशि की है। इस दौरान 20 साल तक जिला परिषद के एक-दो ही अधिकारियों ने पत्राचार किया, लेकिन एक्शन किसी ने नहीं लिया गया।

पंचायती राज विभाग के एक रिटायर्ड अधिकारी रोहित सिंह के मुताबिक, वसूली से बचने के लिए ज्यादातर पूर्व सरंपच व उप सरपंच अपने ही परिवार के दूसरे सदस्य को चुनाव में खड़ा कर देते हैं।

सालुखे गौरव रविंद्र, सीईओ, जिला परिषद का कहना है कि ऑडिट टीम की संस्तुति के आधार पर गबन के मामलों में वसूली होगी। इन सभी को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर संपत्ति भी सीज़ होगी। चुनाव से पहले यदि गबन करने वाले एनओसी मांगेंगे, तो बिना राशि जमा किए, एनओसी जारी नहीं की जाएगी।

झुंझुनूं में 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट से मिस्त्री की मौत

- निर्माणाधीन भवन की छत पर दीवार निर्माण कार्य के दौरान मिस्त्री को करंट लग गया था
- मांगों को लेकर बनीं सहमति, परिजनों को 23.50 लाख की सहायता और नौकरी का आश्वासन मिला

झुंझुनूं, (निसं)। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित अणगासर रोड पर मंगलवार को हुए दर्दनाक हादसे में 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से मिस्त्री रतन नायक (45) की मौत हो गई। निर्माणाधीन भवन की छत पर दीवार निर्माण कार्य के दौरान करंट लगने से रतन नायक तेज धमाके के साथ करीब 16 फीट नीचे गली में बने नाले में जा गिरा। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। शव को बीडीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां परिजन मुआवजे और कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। इस दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के नेता राजेंद्र फौजी ने परिजनों के साथ खड़े होकर प्रशासन और संबंधित विभागों से वार्ता की तथा मृतक परिवार को राहत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

धरने के दौरान राजेंद्र फौजी के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों एवं बिजली विभाग के प्रतिनिधियों के साथ लंबी वार्ता हुई। वार्ता के बाद मृतक के परिजनों को विभिन्न योजनाओं एवं विभागों के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर सहमति बनी। समझौते के अनुसार मृतक के परिवार को बिजली विभाग की ओर से 11 लाख रूपए, चिरंजीवी योजना के तहत 5 लाख रूपए, मजदूर कार्ड योजना से 5 लाख रूपए तथा जिस व्यक्ति के यहां रतन नायक कार्यरत थे उसकी ओर से 2.50 लाख रूपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा तहसीलदार महेंद्र मूंड ने मृतक के परिवार के एक सदस्य को योग्यता के अनुसार संविदा अथवा उपलब्ध अवसर पर रोजगार दिलाने का आश्वासन दिया।

राजेंद्र फौजी ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि संबंधित दुकान मालिक ने कई बार मौखिक रूप से जेईएन को बिजली लाइन के खतरे की जानकारी दी थी, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते शिकायतों पर ध्यान दिया जाता तो एक परिवार का सहारा नहीं छिनता। फौजी ने मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित जेईएन और लाइनमैन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि बार-बार होने वाले ऐसे हादसे विभागीय उदासीनता का परिणाम हैं। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद कुछ दिनों तक सक्रियता दिखाई जाती है, लेकिन फिर व्यवस्थाएं पुराने ढर्रे पर लौट जाती हैं।

झील में डूबने से एक व्यक्ति की मौत

अजमेर, (कासं)। आनासागर झील की चौपाटी के पास पानी में डूबने से सागर कॉलोनी निवासी जतिन जोसवा की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सिविल डिफेंस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को पानी से बाहर निकाला और पुलिस के सुपुर्द किया। सिविल डिफेंस अजमेर की टीम ने बताया कि कंट्रोल रूम पर सूचना दी गई थी कि डेमो स्कूल के ठीक सामने स्थित चौपाटी पर एक व्यक्ति पानी की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसे पानी में गिरते हुए देखा गया। इस सूचना पर सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम तुरंत हरकत में आई और बिना समय गंवाए मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल पर पहुँचने के साथ ही संबंधित थाना पुलिस को भी मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। सिविल डिफेंस के जवानों ने पानी में खोजबीन कर डूबे हुए व्यक्ति के शव को सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू टीम को मृतक के पास से उसका मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पुलिस और सिविल डिफेंस ने मोबाइल के जरिए मृतक के परिजनों से संपर्क कर उन्हें हादसे की जानकारी दी और मौके पर बुलाया।

राजकीय जिला अस्पताल पावटा में भर्ती 6 प्रसूताओं का स्वास्थ्य सामान्य : खींवसर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने जोधपुर में पावटा जिला अस्पताल और एम्स में भर्ती प्रसूताओं के उपचार को लेकर समीक्षा की।

- जोधपुर में पावटा जिला अस्पताल और एम्स में भर्ती प्रसूताओं के उपचार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी : चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर
- हाई डायबिटीज प्रसूता एवं पीलिया ग्रस्त प्रसूता का एम्स में उपचार जारी, स्वास्थ्य स्थिर : खींवसर

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने मंगलवार को कहा कि जोधपुर में पावटा जिला अस्पताल और एम्स में भर्ती प्रसूताओं के उपचार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पावटा जिला अस्पताल में भर्ती 6 प्रसूताओं का स्वास्थ्य सामान्य है और एम्स में भर्ती हाई डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर की प्रसूता और पीलियाग्रस्त प्रसूता का स्वास्थ्य स्थिर है तथा सभी प्रसूताओं की 24 घंटे स्वास्थ्य एवं उपचार की मॉनिटरिंग की जा रही है।

खींवसर ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा पूरे प्रकरण को संवेदनशीलता के साथ मॉनिटर किया जा रहा है। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने सोमवार देर रात जोधपुर पहुंचकर भर्ती सभी प्रसूताओं के स्वास्थ्य एवं उपचार की प्रगति की जानकारी ली है और प्रसूताओं के पूरे प्रकरण की तथा स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं तथा मरीजों और उनके परिजनो से मुलाकात कर कुशलक्षेम पूछी तथा उन्हें राज्य सरकार की ओर से सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आश्वस्त किया तथा भरोसा दिलाया कि उपचार में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाएगी।

उन्होंने बताया कि नागौर और डीडवाना में प्रसूताओं के दोनों प्रकरणों की रिपोर्ट विस्तार से प्राप्त की है। उपलब्ध तथ्यों और चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर किसी भी प्रकार की चिकित्सीय लापरवाही सामने नहीं आई है। नागौर की प्रसूता रुकमा देवी की डिलीवरी सफलतापूर्वक संपन्न हुई थी तथा प्रसव के बाद माता और शिशु दोनों का स्वास्थ्य सामान्य था। बाद में अचानक सीने में दर्द की शिकायत होने पर चिकित्सकों ने तत्काल आवश्यक उपचार देते हुए उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर किया, लेकिन दुर्भाग्यवश रास्ते में उनका निधन हो गया। चिकित्सकों के अनुसार प्रारंभिक तौर पर हृदयाघात की संभावना प्रतीत होती है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसी प्रकार खुनखुना निवासी मोनिका का स्थानीय स्तर पर उपचार चल रहा था। उन्हें राजकीय बांगड़ चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां जांच के दौरान उनका रक्तचाप अत्यधिक उच्च स्तर 200/150 पाया गया। चिकित्सकों ने पूरी सतर्कता के साथ उनकी स्थिति को स्थिर करने के प्रयास शुरू किए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में तत्काल प्रसव कराना जोखिमपूर्ण हो सकता था। दुर्भाग्यवश प्रसव से पूर्व ही उनका निधन हो गया।

उन्होंने बताया कि हमारे चिकित्सा संस्थान प्रदेशभर में हमेशा आमजन की सेवा के लिए निरंतर कार्यरत हैं। हमारे चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के प्रति जनता के भरोसे का ही परिणाम है कि प्रतिदिन हजारों मरीज सरकारी चिकित्सा संस्थानों में उपचार प्राप्त कर रहे हैं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में हमारे संस्थानों में प्रसव की सफलता दर 99.99 प्रतिशत है, जो हमारी चिकित्सा व्यवस्था की गुणवत्ता, चिकित्सकों की दक्षता और समर्पण को दर्शाती है। राज्य सरकार प्रत्येक मामले की पूरी संवेदनशीलता, पारदर्शिता और तथ्यात्मक आधार पर समीक्षा करती है।

शादी का झांसा देकर युवती से चार साल तक दुष्कर्म

अजमेर, (कासं)। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवती से शादी का झांसा देकर लंबे समय तक दुष्कर्म करने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए ड्यूटी ऑफिसर एएसआई रामधन मीणा ने बताया कि 22 जून को पीड़िता ने थाने में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई।

पीड़िता के अनुसार लगभग 4 साल पहले उसके पड़ोसी ने उससे दोस्ती की थी। इसके बाद आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार अनैतिक कार्य किया। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की विस्तृत अनुसंधान थानाधिकारी अनिल देवड़ा द्वारा की जा रही है। एएसआई रामधन मीणा ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। साथ ही पीड़िता का मेडिकल मुआयना भी करवा दिया गया है। पुलिस अब पीड़िता के धारा 183 के तहत न्यायालय के समक्ष बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी कर रही है।

पुलिस के अनुसार पीड़िता की वर्तमान आयु 20 वर्ष है और वह अभी बालिग है। चूंकि यह घटना पिछले 4 वर्षों से लगातार हो रही थी, इसलिए घटना की शुरुआत के समय पीड़िता नाबालिग थी, यही कारण है कि मामले में पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराएं जोड़ी गई हैं। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।

जाली नोट गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

आरोपियों से 22 लाख 2 हजार के नकली नोट बरामद हुए थे

बीकानेर, (निसं) कोटगेट थाना पुलिस ने तीन साल से फरार चल रहे जाली नोट गिरोह के मास्टरमाइंड रामावतार शर्मा को गिरफ्तार किया है।

एसएचओ ने बताया कि साल, 2023 में पुलिस ने जाली नोट गिरोह का पर्दाफाश कर 22 लाख के जाली नोट बरामद किये थे। इस मामले में छह अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी रामवतार निवासी सारोठिया चुरू फरार चल रहा था। रविवार को आरोपी की लोकेशन ट्रेस होने पर पुलिस ने टीम ने उसे गिरफ्त में ले लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। इस मामले में लूणकरणसर निवासी साहिल खान, सोनू उर्फ संदीप कुमार शर्मा, रामनिवास, बामनवाली निवासी प्रदीप सारस्वत, कालू निवासी राहुल सारस्वत और सेरूणा निवासी बंशीधर उर्फ जॉर्डन को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भिजवाया जा चुका है। कार्रवाई के दौरान आरोपियों से 22 लाख 2 हजार के नकली नोट बरामद हुए थे।

महिला की मौत

अजमेर, (कासं)। बकरा मंडी के सामने झाड़ियों में एक अज्ञात महिला अचेत अवस्था में पाई गई। महिला की हालत बेहद नाजुक थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया। एएसआई रामदेव ने बताया कि सूचना मिली थी कि झाड़ियों में एक महिला बेहोश पड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। महिला तेज धूप के बीच झाड़ियों में पड़ी हुई थी। मौके पर मौजूद बकरी चराने वाले स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि यह महिला काफी समय से वहीं आसपास बैठी हुई थी और मानसिक रूप से कुछ विचलित लग रही थी। स्थानीय लोगों ने भी उसे पानी पिलाया था। फिलहाल महिला की पूरी तरह से शिनाख्त नहीं हो पाई है।

कार्यालय नगर पालिका देई जिला बून्दी राज.
Email ID - deinagarpalika@gmail.com Ph. No. 07437294241
क्रमांकः न.पा.देई./26–27/678 दिनांक 20.06.2026
संसोधन पत्र
पालिका पत्रांक 551 दिनांक 04.06.2026 के द्वारा जारी आपत्ति विज्ञप्ति में आपत्ति दर्ज कराने की अवधि 3 दिवस के स्थान पर 7 दिवस बढी जायें।
राज.संवाद/सी/26/5435 अधिशाषी अधिकारी

बालोतरा में रेवेन्यू इंस्पेक्टर बीस हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार

बालोतरा, (निसं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बाडमेर की टीम ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए बालोतरा जिले के गुडामालानी क्षेत्र में तैनात नए नगर के रेवेन्यू इंस्पेक्टर नारायणलाल को 20 हजार 500 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

- नामांतरण प्रक्रिया पूरी करने के एवज में रिश्वत मांगी थी

एसीबी टीम ने रेवेन्यू इंस्पेक्टर नारायणलाल को गिरफ्तार किया।

जानकारी के अनुसार आरोपी रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने एक मामले में नामांतरण (नेखमबंदी) की प्रक्रिया पूरी करने के एवज में परिवादी से रिश्वत की मांग की थी। शिकायत का सत्यापन होने के बाद एसीबी ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए खडाली गांव में ट्रैप ऑपरेशन अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान आरोपी को रिश्वत की राशि स्वीकार करते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। यह कार्रवाई बाडमेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार अणखिया के नेतृत्व में की गई। ट्रैप के बाद टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है तथा उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपी की आय से अधिक संपत्ति सहित अन्य पहलुओं की भी जांच की जाएगी।

अजमेर में चलती रोडवेज बस में आग लगी, 37 यात्रियों को बचाया

प्राथमिक तौर पर आग लगने का कारण इंजन में हुआ शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है

अजमेर, (कासं)। किशनगढ़ थाना क्षेत्र में परासिया पुलिया के पास एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। अराईं से अजमेर जा रही राजस्थान रोडवेज की एक चलती बस में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि पूरी बस आग का गोला बन गई। गनीमत यह रही कि बस चालक की सूझबूझ से गाड़ी में सवार सभी 37 यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान रोडवेज की बस यात्रियों को लेकर अराईं से अजमेर की ओर आ रही थी। इसी दौरान परासिया पुलिया के पास अचानक बस के इंजन से तेज धुआं उठने लगा। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी को सड़क किनारे रोका और यात्रियों को नीचे उतरने के लिए कहा। यात्रियों के उतरते ही आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। अजमेर फायर ब्रिगेड के लीडिंग फायरमैन भानु सिंह ने बताया कि प्राथमिक तौर पर आग का कारण इंजन में हुआ शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। इंजन में चिंगारी उठने के बाद आग तेजी से पीछे की तरफ फैल गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर हड़कंप मच गया। तुरंत अजमेर और किशनगढ़ फायर स्टेशन को सूचित किया गया। आग की गंभीरता को देखते हुए किशनगढ़ से दो, अजमेर से एक और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से एक दमकल की गाड़ी को मौके पर भेजा गया। फायर फाइटर्स ने करीब चार गाड़ियों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। हालांकि, तब तक बस जलकर पूरी तरह खाक हो चुकी थी।

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
क्रमांक :- अविप्रा/प.2/तकनीकी/2026-27/राजकाज 22853806 दिनांक :- 19/06/2026
ई-निविदा सूचना संख्या 12-13/2026-27
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की ओर से विभिन्न कार्यों अनुमानित लागत राशि रु. 596.33 लाख की ई–निविदा 12 क्रम संख्या (1–3) दिनांक 29.06.2026 एवं ई–निविदा 13 क्रम संख्या (1) दिनांक 13.07.2026, एवं क्रम संख्या (2) दिनांक 02.07.2026 सांय 06:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.raj.nic.in http://www.urban.rajasthan.gov.in/ada पर देखा जा सकता है।
UBN : NIT 12 - AJD2327SLOB00064, SSOB00065, WSOB00066 &
NIT 13 - AJD2627WSOB00067, AJD2627SLOB00068
राज.संवाद/सी/26/5462 अधिशाषी अभियन्ता

भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर
क्रमांक :- लेखा/भ.वि.प्रा./2026-27/9069 - 80 दिनांक :- 18/06/2026
ऑनलाईन निविदा सूचना सं. 22/2026-27
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से भरतपुर विकास प्राधिकरण, में उपयुक्त श्रेणी एवं विभिन्न विभागों में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया से कुल 04 कार्यों हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है।
उक्त कार्यों का विस्तृत विवरण, निविदा शर्तें, अनुमानित लागत राशि, निविदा बेचने, प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in, https://bda.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.raj.nic.in portal पर देखा जा सकता है।
निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.raj.nic.in portal का अवलोकन करें।
UBN विवरण : WAQ2627WSOB00067 To WAQ2627WSOB00070
राज.संवाद/सी/26/5458 अधिशाषी अभियन्ता

माण्डलगढ़ में 60 टन बजरी के स्टॉक सहित जेसीबी व बजरी से भरा डंपर जब्त

पुलिस कार्रवाई के दौरान दोनों वाहनों के चालक मौके से फरार हो गये

- कार्रवाई के दौरान सामने आया कि बजरी माफिया ने रोब दिखाने के लिए डंपर पर सरपंच, बाजीगर, बगड़ावत जैसे शब्द लिखा रखे हैं
- बनास नदी से अवैध खनन कर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से लाकर सुनसान जगह पर बजरी का स्टॉक किया था

माण्डलगढ़, (निसं)। अवैध खनन और बजरी परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत माण्डलगढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी मशीन और बजरी से भरा डंपर जब्त किया है। वहीं मौक़े पर करीब 60 टन बजरी के स्टॉक को भी जब्त किया गया है। पुलिस की दबिश के दौरान दोनों वाहनों के चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। वाहनों को थाने तक लाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने एमएमडीआर एक्ट में मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को सूचना दी है।

माण्डलगढ़ थानाधिकारी घनश्याम मीणा ने बताया कि गश्त के दौरान श्यामगढ़ पंचायत के पदमपुरा गांव के पास सरकारी भूमि में अवैध बजरी के स्टॉक पर जेसीबी मशीन से डंपर में बजरी भरे जाने की सूचना मिली। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान एक जेसीबी मशीन और बजरी से भरा डंपर मिला, जिन्हें जब्त कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान दोनों वाहन चालक मौके से फरार हो गए। जब्त वाहनों को थाने लाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने एमएमडीआर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर फरार वाहन चालकों की तलाश में जुटी है।

कार्रवाई के दौरान यह भी सामने आया कि जब्त किए गए डंपर पर परिवहन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। डंपर के पीछे निर्धारित स्थान पर वाहन का पंजीयन नम्बर तक अंकित नहीं था। इसके अलावा वाहन पर सरपँच, बाजीगर, मस्त गुर्जर और बगड़ावत जैसे बड़े-बड़े स्लोगन लिखे हुए थे, जो सड़क परिवहन नियमों के विपरीत पाए गए।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वाहन मालिकों और चालकों की पहचान की जा रही है। अवैध खनन, खनिज परिवहन और मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जब्त वाहन चित्तौड़गढ़ परिवहन कार्यालय से पंजीयन होने से बजरी का अवैध धंधा करने वाले सम्भवत बेगूं थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। फरार चालकों की तलाश के लिए पुलिस टीम जुटी हुई है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि बनास नदी में अवैध खनन कर ट्रैक्टरों से परिवहन के जरिए बजरी को यहां लाकर स्टॉक किया जाता है और यहां से डंपर, ट्रेलर में बजरी को भरकर मध्यप्रदेश और कोटा झालावाड़ तक पहुंचाया जाता है। ग्रामीणों ने बजरी स्टॉक हटाने की मांग की है।

डी.एल.एड. प्रथम वर्ष परीक्षा 30 से

बीकानेर, (निसं)। पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, बीकानेर द्वारा डी.एल.एड. प्रथम वर्ष परीक्षा-2026 का आयोजन 30 जून से 11 जुलाई तक किया जाएगा। छात्राध्यापक अपने प्रवेश पत्र शाला दर्पण आईडी के माध्यम से 22 जून से प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश पत्र प्राप्त करने के बाद परिक्षार्थियों को संस्था प्रधान से काउंटर हस्ताक्षर करवा परीक्षा में शामिल होना सुनिश्चित करना होगा।

कार्यालिय नगर परिषद् बाड़मेर (राज.)
E-mail : mbbarmerraj@gmail.com PH. NO. 02982-220098
क्रमांक : एफ–15/विकास/2026–27/2508 दिनांक : 16.06.2026
ई–निविदा सूचना संख्या – 10/2026–27
नगर परिषद् बाड़मेर की ओर से केन्द्र व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, उपक्रमों, संस्थानों में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान के नवीन नियमों के अन्तर्गत उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त समकक्ष श्रेणी की फर्मो/ठेकेदारों से 18 निर्माण कार्य के लिये मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। उक्त निर्माण कार्यो निविदा फार्म दिनांक 22.06.2026 से दिनांक 13.07.2026 तक ऑन लाईन प्राप्त की जाकर दिनांक 14.07.2026 को उपापन समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा को इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर जमा करानी होगी। उपरोक्त निविदा सूचना के संबंध में समस्त जानकारी/विवरण/शर्तें राज्य सरकार की वेबसाईट https://sppp.rajasthan.gov.in Or http://eproc.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती हैं।
NIB CODE : DLB2627A3230
आयुक्त
नगर परिषद, बाड़मेर
राज.संवाद/सी/26/5486

कार्यालय नगरपालिका मण्डल बसेडी, धौलपुर (राज.)
Email id :- baseri.jaipur21@gmail.com
क्रमांकः– न.पा.ब./स्टोर/2026–27/1084 दिनांकः– 18.06.2026
पुनः नीलामी सूचना
नगरपालिका क्षेत्र बसेडी द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु पशुहाट की नीलामी निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है:–

क्र. सं.	कार्य का नाम	न्यूनतम सरकारी बोली	निविदा में भाग लेने का शुल्क	अमानत राशि	अमानत शुल्क व निविदा में भाग लेने की शुल्क की दिनांक	ई–ऑक्शन पोर्टल पर बोली की दिनांक
1	पशु हाट ठेका	16.00 लाख	5000/–रू.	32000/–रू.	19.06.2026 से 28.06.2026 तक	29.06.2026 प्रातः 10.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक

उक्त नीलामी ऑनलाईन ई–ऑक्शन पोर्टल से की जावेगी जिसकी लिंक https://lsgeauction.rajasthan.gov.in है।
राज.संवाद/सी/26/5385 अधिशाषी अधिकारी